U;k;ky; Hk&icU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy ikf/kdkjh] chdkuj %

ihBklhu vf/kdkjh Jh egkohj [kjkMh] vkj-,-,l-

vihy l- 01@2021

1. रामेश्वरलाल पुत्र श्री खंगाराम जाति मेघवाल निवासी बोथियाबास, पंचायत रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

–अपीलांट्

cuke

1. स्टैट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रतनगढ जिला चूरू।
2. नगर पालिका राजलदेसर जरिये अधिशाषी अधिकारी।
   रेस्पोडेन्ट

vfHkHkk"kdx.k%&

1. श्री सोमदत पुरोहित अपीलान्ट अभिभाषक

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh]jrux< ftyk pq: fu.kZ; fnukad 05-01-2021 ds fo:) ?kkjk 75 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1956

fu.kZ; **fnukad%&25-11-2021**

1. इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि वादगत कृषि भूमि ग्रांम परसनेऊ,राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू के खेत खसरा नं0 182 तादादी 08 बीघा 15 बिस्वा, खरीद–शुद्धा भूमि है जिसका ईन्तकाल राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। अपीलान्ट अपनी उक्त भूमि को औधोगिक कार्य में रूपान्तरण करने हेतु एक आवेदन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि ग्रांम परसनेऊ,राजलदेसर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षैत्र (नगरीय क्षैत्र) में होने के कारण अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजलदेसर के पत्रांक न0प0स0/2019–20/48 दिनांक 11.04.2019 के अनुसार आवेदन का निस्तारण नगर पालिका राजलदेसर के क्षैत्राधिकार में है उक्त प्रकरण इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील धारा 75 राजस्थन काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपीलांट अभिभाषक उपस्थित अपीलान्ट अभिभाषक ने अपने अपील मीमो के कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अपनी खरीद शुद्धा भूमि ख0न0 182 तादादी 8 बीधा 15 बिस्वा ग्रांम परसनेऊ,राजलदेसर का औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । नगर पालिका राजलदेसर द्वारा गलत तथ्यो की जानकारी उपलब्ध कराने पर कि ग्रामं परसनेऊ की भूमि जो राजलदेसर की परिधि क्षैत्र में आता है जो गजट नोटिफिकेशन द्वारा नगर पालिका राजलदेसर को हस्तान्तरित कर दी गई है जिससे अब इस सम्बन्ध में सभी अधिकार क्षैत्र नगर पालिका राजलदेसर के पास है। अपीलान्ट द्वारा सभी आवश्यक कागजात अपनी कृषि भूमि को औधोगिक क्षेत्र में रूपान्तरण बाबत अधिशाषी अधिकारी राजलदेसर के कार्यालय में पेश कर दिये तथा अधिशाषी अधिकारी राजलदेसर के द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अनुशंषा एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ नगर नियोजन बीकानेर को भिजवा दी गई वरिष्ठ नगर नियोजन बीकानेर द्वारा दस्तावेजो का अवलोकन कर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका राजदेसर को बिना कोई आपत्ती किये आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटा दी। अपीलार्थी के आवेदन पर राजलदेसर नगर पालिका द्वारा दिनांक 08.10.2019 तक कोई कार्यवाही नही किये जाने पर अपीलान्ट ने दिनांक 09.10.2019 पर नोटिस देकर अपने प्रार्थना पत्र पर उनका क्षैत्राधिकार (भूमि रूपान्तरण) नही होने के कारण निरस्त समझा जावे तथा उसके द्वारा जमा करवाई राशि 15 दिवस में लोटाई जावे। तत्पश्चात अपीलान्ट ने अपना नया आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजो के साथ उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के समक्ष दिनांक 21.11.2019 को प्रस्तुत किया । अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजदेसर के पत्रांक न0प0स0/2019–20/48 दिनांक 11.04.2019 जो उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया जिसमें बतलाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.10(134) नवि/3/2010 दिनांक 20.07.2010 के अनुसार ग्रांम परसनेऊ राजलदेसर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षैत्र (नगरीय क्षैत्र) में होने के कारण के आवेदन का निस्तारण नगर पालिका राजलदेसर के क्षैत्राधिकार में है बताते हुऐ दिनांक 11.12. 2019 को प्रकरण खारिज कर दिया जिसके विरूद्व माननीय न्यायालय में अपील पेश की गयी । माननीय न्यायालय द्वारा अपील में पूर्ण सुनवाई करते हुऐ दिनांक 31.01.2020 को रिमाण्ड करते हुऐ निर्देशित किया कि यह प्रकरण उनके क्षेत्राधिकार का है अतः दोनो पक्षो को साक्ष्य व सबुत प्रस्तुत करने के सम्पूर्ण अवसर प्रदान कराते हुऐ पुनः निर्णय पारित करे । अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ । दिनांक 20.02.2020 को पत्रावली पुनः पेशी पर ली गयी और पत्रावली आगामी दिनांक 17.03.2020 के लिये नियत की गयी तथा दिनांक 17.03.2020 को अप्रार्थी

सं0 2 की अनुपस्थिति में बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश के लिये दिनांक 19.03.2020 नियत की गयी तत्पश्चात दिनांक 19.03.2020 से लगातर 07.09.2020 तक पत्रावली आदेशो में चलती रही और दिनांक 07.09.2020 से किसी पक्ष के द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र न होते हुऐ भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सविवेक से तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2020 के विपरित पक्षकारों को सबुत पेश करने का अवसर प्रदान न करते हुऐ पत्रावली सिधे बहस सुनी जाकर दिनांक 15.01.2021 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः इन सभी तथ्यो के आधार पर अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी निर्णय दिनांक 05.01.2021 को अपास्त किया जावे।

3. रेस्पो0 द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यो व सबूतो का अवलोकन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण ग्रांम परसनेऊ के खसरा नम्बर 282 तादादी 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 20535.23 वर्ग मीटर कृषि भूमि को औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का पेश किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 10(134) नवि/3/2010 दिनांक 20.07.2010 के अनुसार ग्रांम परसनेऊ को राजलदेसर नगरीय क्षैत्र में सम्मलित किया है ग्रांम परसनेऊ राजलदेसर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षैत्र (नगरीय) मे होने के कारण अधिशाषी अधिकारी राजलदेसर के पत्रांक न0प0स0/2019–20/48 दिनांक 11.04.19 के अनुसार आवेदन का निस्तारण नगर पालिका राजलदेसर के क्षेत्राधिकार में है उक्त प्रकरण इस कार्यालय के क्षैत्राधिकार में नही है । ।

4. हमने अपीलांट अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि शासन उप सचिव उप नगर नियोजक के पत्राक प.10(134)नविवि/3/2010 जयपुर दिनांक 20.07.2010 के द्वारा राज्य सरकार एतद द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन बीकानेर को राजलदेसर जिला चूरू के नगरीय क्षैत्र में परसनेऊ ग्रांम को सम्मलित किया गया है ताकि साविकि सर्वे करने एवं क्षतिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमाक प.6(9)राज–6/96पार्ट/22 दिनांक 22.11.2005 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्थानिय निकायो की अधिसूचित सीमा या स्वीकृत मास्टर प्लान की सीमा में स्थित समस्त विलानाम सिवाय चक भूमि को सम्बन्धित स्थानिय निकायो को हस्तान्तरित करने के निर्देश है परन्तु परिधीय क्षैत्रो का अंकन नही है इस बाबत न्यायालय द्वारा कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर को राजलदेसर के ग्राम परसनेउ की वर्तमान स्थिति के संबंध में सूचना चाही गयी थी की ग्राम परसनेउ को नगरीय क्षेत्र

में सम्मिलित कर मास्टर प्लान जारी किया गया है अथवा नही । कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर ने अपने पत्रांक 1406 दिनांक 04.10.2021 से अवगत कराया की शासन उपसचिव की अधि सूचना क्रमाक/ प.10 (134)/3/2010 दिनांक 20.07.10 के द्वारा राजस्थान सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों को उपयोग करते हुऐ राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर को मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा तैयार किये गये मास्टर प्लान राजलदेसर 2031 के नगरीय क्षेत्र में 11 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है जिसमें राजस्व ग्राम परसनेउ को भी सम्मिलित किया गया है, किन्तु इसमें आदिनांक की स्थिति स्पष्ट नही है कि वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में 11 राजस्व ग्राम शामिल कर लिये गये है या प्रक्रियाधीन है । इस न्यायालय द्वारा पूर्व में यह प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलांट को अपने साक्ष्य सबुत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः निर्णय पारित करें । किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से दिनांक 07.09.2020 को रिपोर्ट मंगवाकरदावा खारिज कर दिया अपीलांट को साक्ष्य सबुत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया ।

5. उपरोक्त किये गये विवेचन विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट की आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रतनगढ के निर्णय दिनांक 05.01.2021 को खारिज किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित कियाजाता है कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग एवं नगरीय विभाग द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न परिपत्रो के आलोक में अपीलांट को अपना पक्ष रखने व साक्ष्य सबुत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दप्तर हो ।
6. निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

¼ egkohj [kjkMh½

HkkjrcU/k vf/kdkjh ,o

inu jktLo vihy ikf/kdkjh
chdkusjA